



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 288 राँची, सोमवार, 11 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
1 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 जून, 2026

संचिका सं०-13/नि०वि०-01/2026- 190/नि०-- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा-3 के परन्तुक-(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में निम्नलिखित मामलों में मुद्रांक शुल्क में पूर्ण विमुक्ति दी जाती है:-

1 किसी भू-स्वामी द्वारा अपनी निजी भूमि का दान झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अथवा झारखण्ड सरकार के प्रयोजन हेतु (नागरिक सुविधाओं में वृद्धि हेतु, शहरी विकास हेतु, ग्रामीण विकास हेतु, सड़क, पार्क, पुस्तकालय इत्यादि के लिए) दानपत्र के माध्यम से किए जा रहे भू-हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज ।

2 पुनर्वास/पुनर्स्थापन नीति के तहत झारखण्ड सरकार द्वारा चिन्हित एवं अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेज।

3. यह विमुक्ति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् झारखण्ड की सहमति दिनांक-27.05.2026 की बैठक के एजेंडा संख्या-31 के रूप में प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव
